न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 53/2025 बउनवानी अरविन्द कुमार बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर के–19/12 मकान नम्बर ,1023 संगम बिहार देहली

GCMS No-2025/ 166 **Appeal Number- 321981590709744**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं.व तारीख जिस हुक्म की तामील में जारी हुआ
30.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1.5..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी श्रीमति रामप्यारी देवी पत्नि सुखजी रेगर निवासी ग्राम खिलचीपुर की लंबित किश्तो /राशि के भुगतान मे हुई देरी के संबंध में 5 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना" तहसीलदार सवाईमाधोपुर* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/आरटीआई /2025/106 दिनांक 28.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.5.2025 मे चाही गयी सूचंना का संबंध तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर से नही होने के कारण आवेदन पत्र का सीधे ही खारिज कर संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.5.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय से नही होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र खारिज कर संबंधित विभाग मे आवेदन कर सूचना प्राप्त करने बाबत पोर्टल के माध्यम से अपीलान्ट को लिखा गया था जो सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधानों के विपरीत है क्योकि उक्त अधिनियम मे स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि सूचना का संबंध आपके कार्यालय से नही हो तो नियत समयावधि मे संबंधित विभाग जिससे सूचना का संबंध है अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थी को सूचित करे, किन्तु इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के उक्त प्रावधान की पालना नही की गयी है। अतःलोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनिम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर नियत समयावधि मे निस्तारण कियां जावे। इस प्रकरण मे अपीलान्ट को भी सुझाव दिया जाता है कि आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका था तो आपको यह अपील प्रस्तुत नही कर संबंधित विभाग मे पुनः प्रार्थना प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner